

201

न्यायालय में, श्रीमान् राजस्व कण्ठ ग्वानियर मध्य प्रदेश ,



निगरानी 1482-II-15

रीडर ~~३~~ १
बेज्ली क्र 174
24-1-15

1. सु. श्यामवती बेवा शूली,

2. निर्मल कुमार,

3. वृष्ण कुमार | विपता शूली

सभी निवासी ग्राम बरबसपुर , तहसील पाली,
जिला उमरिया म0प्र0--

-आवेदक/ नि0कत

श्री सुधीर मिश्रा
आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

// बनाम //

मध्य प्रदेश शासन --

- अनावेदक

प्रअधीक्षक उपन-15
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार
महोदय तहसील पाली जिला उमरिया म0प्र0 के
रट0प्र0क्र0 57/3-12/06-07 आदेश दिनांक
2.6.2007

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0का0मा0

5696

3

-2-


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1482-दो/2015

जिला उमरिया

श्यामवती विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील पाली के प्रकरण क्रमांक 57/अ-12/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी पाली को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी पाली के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p style="text-align: right;"> (अर.के.जेन) 18/2/2019 सदस्य</p>